समाहरणालय, अररिया

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

दूरभाष सं0– 06453–222001 (का0)
फैक्स सं0– 06453–222124 (का0)
Email-dm-araria.bih@nic.in

आदेश

अपर आयुक्त, निःशक्तजन, बिहार, पटना का पत्रांक संख्या 110/रा0अ0नि0, दिनांक 13.02.2020 के अनुसार राज्य आयुक्त, निःशक्तजन, बिहार, पटना का अररिया जिला में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा–72 अन्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत् विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) का कार्यक्रम दिनांक 05.03.2020 से 09.03.2020 तक आयोजित है। कार्यक्रम का विवरण निम्नवत् है :–

डॉ शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त, निःशक्तजन, बिहार का कार्यक्रम :–

क्र0	तिथि	समय	कार्यक्रम	स्थान	नोडल पदाधिकारी
1.	05.03.2020 (गुरूवार)	04:00 बजे अप0 से।	इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि के साथ सम्वाददाता सम्मेलन/प्रेस वार्त्ता।	जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क का सभाकक्ष	जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया।
2.	06.03.2020 (शुक्रवार)	07:00 पूर्वा0 से 10:00 पूर्वा0 तक	जिला में विभिन्न प्रखण्डों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा–72 अंतर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक	प्रखंड मुख्यालय	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, अररिया।
	06.03.2020 (शुक्रवार)	10:00 से 12:00 बजे अप0 तक	विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक। (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा) उपस्थिति :– 1. उप विकास आयुक्त, अररिया। 2. जिला विधिक सेवा प्राधिकार। 3. उप समाहर्त्ता प्रभारी बैंकिंग 4. उप पुलिस अधीक्षक अररिया (मुख्यालय) 5. अपर समाहर्त्ता, अररिया। 6. सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया जिला। 7. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अररिया। 8. असैनिक भाल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अररिया। 9. श्रम अधीक्षक, अररिया। 10. उप समाहर्त्ता जिला आपदा, प्रबंधन/प्राधिकरण 11. जिला वन एवं पर्यावरण पदाधिकारी। 12. जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया 13. निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अररिया। 14. जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अररिया। 15. जिला नियोजन पदाधिकारी, अररिया। 16. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल/पथ प्रमंडल, अररिया। 17. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (सर्व शिक्षा अभियान) अररिया। 18. जिला कल्याण पदाधिकारी, अररिया। 19. जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया। 20. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, अररिया। 21. जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, अररिया। 22. जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया। 23. जिला अभियंता, जिला परिषद, अररिया। 24. जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया। 25. जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया।	सभा कक्ष समाहरणालय, अररिया	उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता/उप समाहर्त्ता

	06.03.2020 (शुक्रवार)	10:00 से 12:00 बजे अप0 तक	26. जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी, अररिया। 27. जिला खेल–कूद पदाधिकारी, अररिया। 28. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अररिया / अनु0लो0शि0नि0 पदा0 अररिया एवं फारबिसगंज 29. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् अररिया / फारबिसगंज / नगर पंचायत, जोगबनी। 30. जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण, अररिया। 31. कारा अधीक्षक, अररिया। 32. जिला उप निर्वाचन, पदाधिकारी, अररिया। 33. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया / फारबिसगंज। 34. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अररियाँ। 35. सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, अररिया। 36. प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक, अररिया। 37. जिला प्रबंधक, जीविका। 38. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत 39. जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, अररिया। 40. जिला हेड, ग्रहक सेवा केन्द्र, अररिया 41. जिला समन्वयक, मनरेगा, अररिया। 42. जिला समन्वयक, प्रधानमंत्री आवास, अररिया। 43. जिला हेड, कॉमन सर्विस सेन्टर, अररिया।	सभा कक्ष समाहरणालय, अररिया	उप विकास आयुक्त / अपर समाहर्त्ता / उप समाहर्त्ता
		12:00 बजे से 01:00 बजे अप0 तक	अपर पुलिस अधीक्षक / उप पुलिस अधीक्षक एवं जिले के प्रमुख थाना प्रभारी (SHO) विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक।	सभागार	इस बैठक के आयोजन हेतु पुलिस अधीक्षक, अररिया अपने स्तर से नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। साथ ही सभी संबंधित को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करेंगे।
	06.03.2020 (शुक्रवार)	01:00 से 02:00 तक।	विभिन्न कॉलेज / कोचिंग संस्थान एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक। उपस्थिति :– 1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया। 2. प्रधानाचार्य, अररिया जिला अंतर्गत सभी महाविद्यालय 3. प्रधानाचार्य, पोलिटेकनिक कॉलेज, अररिया। 4. सभी आई0 टी0 आई0 कॉलेज के प्राचार्य। 5. प्रभारी पदाधिकारी डी0आर0सी0सी0 अररिया।	शिक्षा विभाग सभाकक्ष	उप विकास आयुक्त, अररिया।
		02:00 से 3:00 तक।	लीड बैंक के साथ स्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधि के साथ बैठक। उपस्थिति :– 1. जिला बैंकिंग उप समाहर्त्ता, अररिया। 2. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, अररिया। 3. अररिया जिला अंतर्गत सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक।	सभा कक्ष समाहरणालय अररिया	बैंकिंग उप समाहर्त्ता, पदाधिकारी, LDM अररिया।
		03:00 से 4:00 तक।	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की धारा 13(2) के तहत् ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पॉल्सी एवं बहु दिव्यांग के पुनर्वास की व्यवस्था हेतु जिला स्तरीय लोकल लेवल कमिटि की बैठक / दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक	जिला पदाधिकारी कक्ष	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा / दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, अररिया।

		04:00 से 05:00 तक।	रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं मॉल का निरीक्षण। उपस्थिति :– 1. स्टेशन अधीक्षक / उपाधीक्षक, अररिया। 2. जिला उद्योग पदाधिकारी, अररिया। 3. नगर आयुक्त / नगर परिषद / सदर अनुमंडल पदाधिकारी अररिया।	रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं मॉल इत्यादि जगहों पर	नगर परिषद् / अनुमंडल पदाधिकारी / कार्यपालक पदाधिकारी (E.O) / जिला परिषद्
3	07.03.2020 (शनिवार)	07:00 पूर्वा० से 10:00 पूर्वा०तक	जिला में विभिन्न प्रखण्डों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा–72 अंतर्गत पंचायत दिव्यांगजन एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभेकेसी / समीक्षात्मक बैठक	प्रखंड मुख्यालय	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा / दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, अररिया।
		11:00 बजे से 01:00 बजे तक	जनप्रतिनिधियों / पंचायत प्रतिनिधि / बोर्ड प्रतिनिधि / सिविल सोसाईटी / समाजसेवी के साथ बैठक। उपस्थिति :– 1. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरिया / फारबिसगंज 2. नगर निगम / नगर परिषद् सभी पार्षद्। 3. सभी प्रखंडों के प्रमुख। 4. प्रमुख पंचायत प्रतिनिधियों के साथ। 5. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी (NGOs) गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि।	जिला परिषद् भवन / नगर परिषद् सभा कक्ष	उप विकास आयुक्त / जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अररिया / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् संयुक्त रूप से।
		02:00 से 03:00 तक।	जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला तथा प्रखंड स्तर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राईवेट एवं सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक (एडीवोकेसी बैठक) उपस्थिति :– 1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया। 2. सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, (शिक्षा), अररिया जिला। 3. सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अररिया जिला। 4. सभी प्राईवेट एवं सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्राचार्य।	डी.आर.सी.सी. अररिया।	जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया।
		03:00 से 04:00 बजे तक	असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अररिया एवं प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रमुख चिकित्सकों / जिला दिव्यांगता प्रमाणीकरण के सदस्य (बोर्ड मेम्बर) तथा प्रपत्रों रजिस्टर मेन्टन हेतु पी०एच०सी० के क्लर्क एवं सहायक के साथ बैठक।	सदर अस्पताल	एस०डी०सी० (स्वास्थ्य सेवा) / असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अररिया।
		04:00 से 05:00 बजे तक	जिला आई०सी०डी०एस० के प्रोग्राम पदाधिकारी, सी०डी०पी०ओ० एवं महिला सुपरवाईजरों के साथ बैठक एवं स्थानीय सेविका	चलन्त न्यायालय का आयोजन स्थल टॉउन हॉल में	डी०पी०ओ० आई०सी०डी०एस०
			विकास मित्र, न्याय मित्र, समावेशी शिक्षकों एवं बुनियाद केन्द्र के कर्मचारियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी० एल० वी० के वोलेनटीयर्स के साथ चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक।		जिला शिक्षा पदाधिकारी / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया।
5	08.03.2020 (रविवार)	10:00 पूर्व० से 04:00 अप०	बचे हुए प्रखण्डों के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा–72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी / समीक्षत्मक बैठक	प्रखण्ड मुख्यालय	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा / दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
6	09.03.2020 (सोमवार)	10:00 पूर्व० से 07:00 अप० (अंतिम निष्पादन तक)	दिव्यांजनों के परिवादों की सुनवाई एवं चलन्त न्यायालय। (लोक अदालत)	टॉउन हॉल	जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त / सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा / दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, अररिया।

श्री सुबोध कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अररिया (9570888020) इनके आगमन से प्रस्थान तक सम्पूर्ण कार्यक्रम में लियाजन ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगें।

जिला नजारत उप समाहर्त्ता, अररिया को निदेशित किया जाता है कि डॉ0 शिवाजी, राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना एवं अन्य सहयोगी पदाधिकारी के लिए 03 कमरे आरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक 05.03.2020 से 09.03.2020 को पूर्वाह्न से बैठक एवं चलन्त न्यायालय कार्यक्रम के आयोजन का सफल संचालन हेतु निम्नांकित निदेश दिया जाता है :–

- टॉउन हॉल, अररिया में बैठक एवं चलन्त न्यायालय कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। **अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया** इस कार्य हेतु टॉउन हॉल को दिनांक 06.03.2020 से दिनांक 10.03.2020 तक आरक्षित रखेंगे।
- **सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, अररिया –सह–नोडल पदाधिकारी, अररिया** को निदेशित किया जाता है कि विभागीय पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में चलन्त न्यायालय कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु संबंधित सभी आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करेंगे। विभागीय निदेश के आलोक में आवेदन पत्र, पम्पलेट की छपाई, वितरण तथा फोटोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही टॉउन हॉल की साफ–सफाई अपने देख–रेख में करवायेंगे।
- कार्यक्रम स्थल पर निःशक्तता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन **सिविल सर्जन, अररिया** सुनिश्चित करेंगे।
- **अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, अररिया** चलन्त न्यायालय कार्यक्रम के आयोजन का व्यापक प्रचार–प्रसार करायेगे। साथ ही विज्ञापन का प्रकाशन कराते हुए बैनर एवं पम्पलेट वितरित करवायेंगे।
- **जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, अररिया** को निदेशित किया जाता है कि कार्यक्रम स्थल पर चार कार्यपालक सहायक, कम्प्यूटर प्रिन्टर सहित, परिवादकर्त्ता के सहयोग करने हेतु 10 कर्मी, 04 आशुटंकक, 03 कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे।
- **कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अररिया** को निदेशित किया जाता है कि वे कार्यक्रम स्थल पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- **जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया** को निदेशित किया जाता है कि राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के उपयोग हेतु अच्छी वाहन (इनोवा) दिनांक 04.03.2020 से दिनांक 10.03.2020 तक के लिए उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं साथ ही लियाजन ऑफिसर के लिए भी वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- **अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अररिया** को निदेशित किया जाता है कि राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना की सुरक्षा तथा कार्यक्रम स्थल पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक एवं समुचित कार्रवाई करेंगे।
- **पुलिस अधीक्षक, अररिया** अपने स्तर से दिनांक 05.03.2020 से 10.03.2020 तक 04–01 का स्कॉट पार्टी प्रतिनियुक्त करेंगे।
- कार्यक्रम स्थल पर परिवादकर्त्ताओं की समस्याओं के समाशोधन हेतु **शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, परिवहन, शहरी विकास विभाग, पंचायत राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक सुरक्षा, बाल संरक्षण, जीविका, बुनियाद, कल्याण विभाग एवं अन्य** जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।
- चलन्त न्यायालय कार्यक्रम के वरीय प्रभार में **अपर समाहर्त्ता, अररिया** रहेंगे। वे सभी संबंधित पदाधिकारी से लगातार समन्वय बनाये रखते हुए कार्यक्रम को सफलता पूर्वक सम्पादित करायेंगे।

जिला पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापांक 148 / सा0सु0, अररिया, दिनांक 29-02-2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, अररिया / उप समाहर्त्ता, अररिया / अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया / फारबिसगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अररिया / फारबिसगंज / सिविल सर्जन, अररिया / निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, अररिया / जिला परिवहन पदाधिकारी / सहायक

निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, अररिया/जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, अररिया/जिला नजारत उप समाहर्त्ता, अररिया/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया/श्रम अधीक्षक, अररिया/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, अररिया/जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया/अपर जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला बुनियाद केन्द्र, अररिया/सहायक निदेशक, बाल संरक्षण कोषांग, अररिया/जिला कल्याण पदाधिकारी, अररिया/ सभी तकनीकि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अचंलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अररिया/फारबिसगंज/नगर पंचायत, जोगबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में अपने–अपने क्षेत्र में प्रसार–प्रचार करायेंगे।

प्रतिलिपि : श्री सुबोध कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर आयुक्त निःशक्ता, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रेषित।

24/10

जिला पदाधिकारी,
अररिया